

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील/निगरानी सं. 1005/18 जिला सीकर

उनवान SR 61/18 vs ओ एम् एन 2001 क पुत्र जयशंकर खां व अन्य

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---------------------------------|--|
|------------|---------------------------------|--|

5/3/18

**एकलपीठ**  
**श्री नत्थूराम-सदस्य**  
 विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी श्री -  
 उपस्थित/अनुपस्थित। प्रार्थी/अप्रार्थी समय चाहते हैं। मिसल  
 दिनांक 10/4/18 को एकलपीठ के समक्ष पेश हो।  
 2m  
 सदस्य

SR 61/18 की  
 डायरी 109/10.2  
 जज. सीकर  
 मेलोकावा 15/18  
 डाटे 21/15/18

10-4-18

**एकलपीठ**  
**श्री मदनलाल मालवीय-सदस्य**  
 विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी श्री.....  
 उपस्थित/अनुपस्थित। प्रार्थी/अप्रार्थी समय चाहते हैं। मिसल  
 दिनांक 19-4-18 को एकलपीठ के समक्ष पेश हो।  
 सदस्य

19-4-18

पुनश्च:

**एकलपीठ**  
**श्री नत्थूराम-सदस्य**  
 विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी श्री.....  
 उपस्थित/अनुपस्थित। प्रार्थी/अप्रार्थी समय चाहते हैं। मिसल  
 दिनांक 28-5-18 को एकलपीठ के समक्ष पेश हो।  
 सदस्य

19.04.2018

**श्री नत्थूराम-सदस्य**  
 वि.पु. श्री डी.पी. ओसा उपस्थित। अपाधीगण अनुपस्थित।  
 प्रकरण के डालखान से निवेदन है कि प्रकरण क.सु.सं.क सीकर  
 के प्रकरण सं. 43/16 आदेश दि. 19-12-2016 के निम्न उल्लेख  
 की गयी है। उप.पंजीयक, सीकर के पत्रों के पंजी/18/109 दि. 10-2-2018  
 जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें उप.पंजीयक  
 सीकर ने निवेदन किया कि अपार्थी के विवाद राशि रसीद सं.  
 201802327002246 दि. 10-2-2018 को राजकोष में सज्ज  
 करा दी है। अतः उ.होने उक्त निगरानी को विद्वा. क्रि. जागे  
 का निवेदन किया।  
 धार्थी वि.पु. श्री डी.पी. ओसा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया  
 नहीं किया है। निगरानी विद्वा. करके हेतु निवेदन किया।  
 अतः उक्त निगरानी सं. 1005/2017/सीकर प्रमाण शून्य  
 हो जाने के कारण खारिज की जाती है।  
 आदेश सुनाया गया।  
 2m  
 सदस्य

SR 61/18  
 श्री. क.स. 2018